

कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली(राज0)

(गद्का की चौकी करौली, Phone & Fax No. 07464-297003, Email- dcf.kroli@rajasthan.gov.in)

क्रमांक: एफ ()एफ.सी.ए./उ.व.सं./2018-19/ 4638

दिनांक: 3/7/18

निमित्त :-

मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर।

विषय :- **Diversion of 0.99 Ha. Forest land in favour of Public Work
Department Dausa for Construction of Missing Link Road
From Udaipura Road to Todhabheem Road (ऑनलाइन प्र.सं.
FP/RJ/ROAD/22622/2017)**

संदर्भ :- आपका कार्यालय पत्र क्रमांक एफ (एफसीए)2017-18/तकनीकी/मुवसंभ
/5282 दिनांक 28.06.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आलोच्य ऑनलाइन प्रत्यावर्तन प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 13 तक कमियों की पूर्ति हेतु प्रस्ताव के 4 सैट इस कार्यालय को वापिस भेजे गये हैं। 1 से 13 तक के बिन्दुओं की पूर्ति निम्नानुसार है:-

1. यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत नक्शों एवं उप वन संरक्षक, करौली द्वारा लगाये गये दस्तावेजों को प्रति हस्ताक्षर मय सील अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जा चुका है।
2. पालना की जा चुकी है।
3. पालना की जा चुकी है।
4. पालना की जा चुकी है।
5. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु CA (Financial outlay) मांगी गई है।
6. पालना पूर्व में ही की जा चुकी है।
7. आवश्यकता नहीं है(चूंकि CA मांग की जा चुकी है)
8. पूर्ति कर दी गई है।
9. पार्ट-1। एक ही साइट इन्सपेक्शन रिपोर्ट संलग्न की जा सकती है। अतः एक ही साइट इन्सपेक्शन रिपोर्ट संलग्न की गई है।
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
11. साइट इन्सपेक्शन रिपोर्ट में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।
12. कार्यालय में हार्ड कोपी 4 प्रतियों में भेजने हेतु वांछित मूल्य के डाक-टिकट उपलब्ध नहीं थे। अतः अवांछित विलम्ब हुआ।
13. सही साइज के नक्शे करौली में फोटो कॉपी नहीं हो पाती तथा डी.जी.पी.एस. मैप इस कार्यालय में संसाधन के अभाव में नहीं लगाए जा सकते हैं। कृपया इस बिन्दु हेतु शिथिलता प्रदान करें। साथ ही अत्यन्त न्यून वन-क्षेत्र (0.5 Ha) प्रभावी होने के कारण सही साइज के GT Sheet में क्षेत्र दृष्टिगोचर होना कठिन होगा। अतः AOI का आवर्धित शीट ही संलग्न किया गया है।

अतः वांछित पूर्ति उपरान्त प्रस्ताव के 4 सैट अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- प्रस्ताव के 4 हार्ड कॉपी सैट

भवदीय



(शशि शंकर)

उप वन संरक्षक
करौली